मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

क्रमांक/एमपीएमसी/उप.पंजी./लोसेप्र/25.1/2018/ 5935-58   भोपाल दिनांक 31/10/18

प्रति

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म. प्र.

2. द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रमुख सचिव / सचिव चिकित्सा शिक्षा म. प्र.

विषयः एम. बी. बी. एस. कोर्स पश्चात प्रोविजनल पंजीयन ।

संदर्भः लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2–13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.–25 दिनांक 24–1–2017 में शामिल **सेवा क्रमांक 25.1** के संबंध में निर्देश ।

1. **सेवा का उद्देश्यः–** प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय से मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. कोर्स करने के उपरांत ईन्टर्नशीप करने के उद्देश्य से 1 वर्ष अथवा इंटर्नशीप की अवधि पूर्ण होने तक प्रोविजनल पंजीयन करना ।
2. **पदाभिहित अधिकारी एवं समय सीमाः–** रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल, 30 कार्य दिवस
3. **आवेदन पत्र एवं प्रारूप :–** आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल अथवा लोक सेवा केन्द्र / कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जायेगा ।
4. **पात्रता की आवश्यक शर्तें :–** आवेदक द्वारा मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त मध्य प्रदेश के किसी चिकित्सा महाविद्यालय से एम. बी. बी. एस. कोर्स उत्तीर्ण किया गया हो तथा निर्धारित ईन्टर्नशीप हेतु चयनित कर लिया गया हो।
5. **आवश्यक दस्तावेज :– (संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित)**
   - (i) जन्मतिथि के सत्यापन हेतु कक्षा 10 वीं की अंकसूची की छायाप्रति,
   - (ii) कक्षा12 वीं की अंकसूची की छायाप्रति,
   - (iii) एम.बी.बी.एस. फायनल पार्ट–1 परीक्षा उत्तीर्ण की समस्त अंकसूची की छायाप्रति,
   - (iv) एम.बी.बी.एस. फायनल पार्ट–2 परीक्षा उत्तीर्ण की समस्त अंकसूची की छायाप्रति,
   - (v) संबंधित अधिष्ठाता द्वारा जारी इंटर्नशीप अंडरगोइंग प्रमाण पत्र की मूल प्रति,
   - (vi) यदि चिकित्सा छात्र रीवेल्युएशन में उर्त्तीण होता है तो आदेश/परीक्षा परिणाम की अधिसूचना की संबंधित अधिष्ठाता द्वारा सत्यापित प्रति,
6. पदाभिहित अधिकारी द्वारा एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –

   6.1 सेवा प्राप्त करने के लिये कंडिका 3 अनुसार आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कंडिका –5 में दर्शाए गए दस्तावेजों के सहित आवेदक द्वारा आवेदन ऑनलाईन ही पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा ।

   6.2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में दी जावेगी ।

   6.3 पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय–सीमा का उल्लेख किया जावेगा ।

6.4 आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा स्वयं का मोबाईल नम्बर, आधार एवं ईमेल एड्रेस भी भरा जावेगा ।

6.5 आवेदन करते समय यदि आवेदक का आधार नंबर के माध्यम से बायोमेट्रिक डिवाईस /OTP से (e-KYC) द्वारा अपनी पुष्टि करता है तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज (जन्म दिनांक / पहचान संबंधी) की हार्डकॉपी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होगी ।

6.6 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम –16 में निर्धारित पंजी में किया जायेगा । एक ही आवेदन का पृथक–पृथक पंजियों में इन्द्राज की आवश्यक नहीं होगी ।

6.7 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन कर यथा शीघ्र परन्तु निर्धारित समय–सीमा में आवेदन का निराकरण किया जावेगा ।

6.8 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी सूचना कारण सहित आवेदक को उसके भरे गये मोबाइल नम्बर पर एस. एम. एस. के माध्यम से दी जावेगी ।

7. लोक सेवा केन्द्र / कियोस्क में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–

7.1 आवेदन साफ्टवेयर पर ऑनलाईन दर्ज किया जाएगा एवं साफ्टवेयर में कंडिका –5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा । दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस सेवा केन्द्र /कियोस्क के आपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा ।

7.2 आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का स्वयं का मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर, एवं ईमेल आईडी आवश्यक रूप से लिया जावे ।

7.3 ऑनलाइन आवेदन करते समय कियोस्क पर आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से बायोमेट्रिक डिवाईस से (e-KYC) द्वारा अपनी पुष्टि करता है तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज (जन्म दिनांक एवं पहचान संबंधी) की हार्डकॉपी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होगी।

7.4 ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही साफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी । पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में निराकरण की समय–सीमा साफ्टवेयर द्वारा तैयार पावती पर अंकित होगी ।

7.5 लोक सेवा केन्द्र/कियोस्क पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित संस्था (जिस कालेज से विद्यार्थी ने कोर्स किया है) के जी2जी पर प्राप्त होगा, जहां से परीक्षण /सत्यापन उपरांत पदाभिहित अधिकारी के अकाउन्ट में ऑन लाईन उपलब्ध हागा ।

7.6 पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कण्डिका–8 में बताई गई प्रकिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और समय–सीमा में आवेदन का निराकरण कर सेवा प्रदान की जाएगी ।

7.7 यदि आवेदक दस्तावेज परीक्षण उपरांत प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने के आदेश पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित किया जावेगा । इस तरह जारी होने वाली समस्त सूचनाओं की एक डिजीटल

रिपोजटरी वेबसाईट /पोर्टल पर संधारित की जायेगी । यह कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा के अंदर ही संपादित की जाएगी ।

8. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया –

8.1 सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदक ऑनलाईन आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल, कियोस्क एवं लोक सेवा केन्द्र पर प्रस्तुत कर सकेगा ।

8.2 एम. पी. ऑनलाईन पर आवेदन कंडिका –6 अनुसार एवं लोक सेवा केन्द्र में आवेदन कंडिका –7 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे ।

8.3 आवेदन सर्वप्रथम संस्था (जिस कालेज से विद्‌यार्थी ने कोर्स किया है) वहां प्राप्त होगा, संबंधित संस्था द्वारा अधिकतम 05 कार्य दिवस में चिकित्सा छात्र का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं अपलोड किए गए दस्तावेजो परीक्षण/सत्यापन कर आवेदन रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल को प्रेषित करेंगे ।

8.4 परिषद कार्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण संबंधी कार्यवाही अधिकतम 10 कार्य दिवस में पूर्ण की जायेगी ।

8.5 ऑनलाईन आवेदन का परीक्षण उपरांत पात्रता के अनुरूप पाए जाने की स्थिति में 15 कार्यदिवस में कार्यवाही पूर्ण की जाकर, आवेदक का डिजिटल हस्ताक्षरित पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किया जाएगा ।

8.6 यदि आवेदक दस्तावेज परीक्षण उपरांत प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने के आदेश पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित किया जावेगा ।

8.7 इस तरह जारी होने वाली समस्त पंजीयन /सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी वेबसाईट / पोर्टल पर संधारित की जायेगी ।

9. शुल्क –

9.1 मध्य प्रदेश राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सा छात्रों हेतु अप्रतिदेय (non refundable) प्रोविजनल पंजीयन शुल्क निम्नानुसार है :–

(i) पंजीयन शुल्क रू. 2200.00

(ii) विलंब शुल्क –

- परीक्षा के माह से 3 माह तक — निरंक
- परीक्षा के माह से 3 माह के उपरांत तथा 6 माह के भीतर — रू. 2000=00
- परीक्षा के माह से 6 माह के उपरांत तथा 12 माह के भीतर — रू. 5000=00

9.2 उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक को एम. पी. ऑन लाइन पोर्टल शुल्क रूपये 50/– का भुगतान करना होगा ।

10. अपील –

आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :—

(1) आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर अथवा

(2) आवेदन का निराकरण समय—सीमा में न होने पर अपील निम्नानुसार की जा सकेंगी—

सेवा क्र.	सेवा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय—सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
25.1	एम. बी. बी. एस. कोर्स पश्चात प्रोविजनल पंजीयन	आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म. प्र. एवं पदेन अध्यक्ष म. प्र. मेडिकल कौंसिल	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव / सचिव चिकित्सा शिक्षा

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

पृ0 क्रमांक एमपीएमसी/उप.पंजी./लोसेप्र/25.1/2018/3934-58 भोपाल दिनांक 31/10/18

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय वल्लभ भवन, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव म. प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, वल्लभ भवन मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
3. कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं सुशासन भवन द्वितीय तल, भदभदा रोड़, टी. टी. नगर, भोपाल ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम पी ऑनलाईन लिमिटेड, ब्लाक—ओ.बी., 14—17, चतुर्थ मंजिल, डी बी सिटी कार्पोरेट पार्क , अरेरा हिल्स, एम पी नगर जोन—1 के सामने, भोपाल।
5. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. आयुष तिवारी, बिजनेस एनालिसिस्ट, एमपीऑनलाईन भोपाल ।

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल